

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10858 / 1131

दिनांक :- 28.11.2017

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री पूजा बाई [लिंक न. 10858] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर - [845] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 05/09/2017 से 08/09/2017 तक 4 दिवस

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री पूजा बाई की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10858 / 1131

दिनांक :- 28.11.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री पूजा बाई [10858] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(प्रदीप माथुर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)